

महोदय जी,

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

विवाद है कि ग्राम-गौराकिया जमाबंदी 2073-76
खता सं. 7 में रदन-बू.चि.श्री.ग्रा.बैंक शाखा बोरख के
खेता है। जिनके शाखा प्रबंधक ज. राज. श्री. ग्रा. बैंक शाखा
बोरख के अनुसार उक्त बैंक का नाम परिवर्तित होकर अ.रा.रा.
श्री. ग्रा. बैंक शाखा बोरख है। अतः रदन-बू.चि.श्री.
ग्रा. बैंक शाखा बोरख के बजाय रदन-ज.रा.रा. श्री. ग्रा. बैंक
शाखा-बोरख किता जाग उचित है।

गोप
9/2/2018
पटवारी
गौराकिया
16/01/18

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी द्वारा) इ.र. बोरख के हुनुसा जमाबंदी खाते के
द्वारा बुन्दी चित्तौड़गढ़ कृषिप ग्रामीण बैंक शाखा बोरख का नाम शाखा
प्रबंधक बोरख हुनुसा बड़ोई राजस्थान कृषिप ग्रामीण बैंक
शाखा बोरख दर्ज करना प्रस्तावित है।

आदेश

तहसीलदार (भू.अ.)

रावतनाटा

प्रा.फ. 144
16/1/18

दृष्टव्य है कि तहसीलदार रावतनाटा के आधार पर
ग्राम गौराकिया की जमाबंदी खता 2073-76 के खता सं. 7 में
बू.चि.श्री.ग्रा.बैंक शाखा बोरख के बजाय ज.रा.रा.श्री.ग्रा.बैंक
शाखा बोरख दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।